न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

करण सख्या: 143/23 दायर दिनांक: 26.10.2023

सीएमएस नं. 2023/337

उनवान

हरीमन पुत्र श्री विशन्या जाति मीना नि. मैनापुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादी

बनाम

1 जयसिंह पुत्र मुरारीलाल जाति मीना नि. मैनापुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:—

1 श्री महेश मीना ——वादी
2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ——प्रति.

निर्णय दिनांक 03.02.2026

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 641 रकवा 0.2400 हेक्टेयर वाके ग्राम मैनापुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है, जिसका वादी 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन सह खातेदारान के मध्य हुये मनवट के विभाजन पर उक्त आराजी का सम्पूर्ण रकवा वादी के हिस्से व कब्जे मे न्यारानूर प्राप्त हुआ है। जिस पर वादी काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। वादी की उक्त आराजी की चारो ओर से डौल मैड कायम हो रही है।

उक्त आराजी से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी भी प्रकार का आज तक नही रहा है। और ना ही कभी किसी हैसियत से आराजी पर काश्त ही की है। लेकिन प्रतिवादी सरगना व लठैत एवं ताकतवर व्यक्ति है, जिसकी पैत्रिक आराजी वादी की आराजी के तरफ दक्षिण में स्थित है, जिसकी आड में प्रतिवादी अपने लटठ व ताकत के बल पर उक्त आराजी की डौल मैडो को तोडते हुए आराजी पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है। और वादी को शान्ति पूर्वक काश्त करने में आये दिन व्यवधान पैदा करता रहता है। और वादी जब भी अपनी आराजी पर कृषि जिंस रखने के लिए कच्चा/पुख्ता निर्माण करना चाहता है, वादी को निर्माण नहीं करने देता है। और धमकी देने लग जाता है।

दिनांक 18.10.2023 को प्रतिवादी ने वादी को खुले आम धमकी दी कि मैं तेरी कब्जे व खातेदारी की आराजी पर अपने लटठ व ताकत के बल पर जवरदस्ती कब्जा करके रहूँगा, और तेरी डौल मैडो को तोडकर अपनी आराजी मे मिला लूँगा, और तुझे आराजी का शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग नहीं करने दूँगा। और तुझे किसी तरह का निर्माण नहीं करने दूँगा। यदि प्रतिवादी अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा मे सफल हो गया, तो वादी अपनी खातेदारी व कब्जे की आराजी से बेदखल होकर हमेशा के लिए महरूम रह जावेगा, जिससे वादी को अपरमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपयो पैसो से सम्भव नही हो सकेगी। अतः वादी, प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पावन्द करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे तथा खसरा नंबर 641 रकवा 0.24 हैक्टे. वाके ग्राम मैनापुरा तह. भुसावर में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें एवं डौल मैडों को नहीं तोडे तथा आराजी पर किसी प्रकार से कब्जा व हस्तक्षेप नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा कराई गई। नोटिस ाईद में प्रतिवादी की ओर से श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाव करने से इंकार किया गया। अतः उनका जवाब बन्द किया गया।

वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्तागण द्वारा साक्ष्य नहीं कराने बाबत सहमति जताई गई। अतः साक्ष्यवादी साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खसरा नंबर 641 वाके ग्राम मैनापुरा वहक वादी डिक्री या जाता है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 0.24 हैक्टे. वाके ग्राम मैनापुरा तह. भुसावर में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में ऱ्सी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें एवं डौल मैडों को नहीं तोडे तथा आराजी पर किसी प्रकार कब्जा व हस्तक्षेप नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

प्रकरण सख्याः 143 / 23
जीसीएमएस नं. 2023 / 337

दायर दिनांकः 26.10.2023

उनवान

हरीमन पुत्र श्री विशन्या जाति मीना नि. मैनापुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादी

बनाम

1 जयसिंह पुत्र मुरारीलाल जाति मीना नि. मैनापुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ताः–

1 श्री महेश मीना ––वादी
2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ––प्रति.

डिक्री दिनांक 03.02.2026

दावा वादा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खसरा नंबर 641 वाके ग्राम मैनापुरा वहक वादी डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 641 रकबा 0.24 हैक्टे. वाके ग्राम मैनापुरा तह. भुसावर में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें एवं डौल मैडों को नहीं तोडे तथा आराजी पर किसी प्रकार से कब्जा व हस्तक्षेप नहीं करें।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)